न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 130/2022
आरसीएमएस नं. 2022/130

1. जसवंत पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 10 चक 4 एमएमके लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रपाल पुत्र साहबराम जाति मेघवाल निवासी 2 एमएमके नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। –अपीलान्ट

बनाम

1. गंगाराम पुत्र लाधूराम जाति मेघवाल साकिन धोलीपाल तहसील व जिला हनुमागनढ।
2. पूरखाराम पुत्र केसराराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. डूंगरराम पुत्र केसराराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. नानूराम पुत्र केसराराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. हुणताराम पुत्र केसराराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. पालाराम पुत्र केसराराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. प्रभुदयाल पुत्र दौलतराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. पोखरराम पुत्र केसराराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. मीरा पत्नी दौलतराम जाति मेघवाल साकिन धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

10. रामेश्वरी पत्नी लिछमणराम पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल साकिन पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
11. सरस्वती देवी पत्नी सुरजाराम पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी ओढा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
12. महावीर पुत्र मलूराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
13. भोमाराम पुत्र मलूराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
14. पूर्णराम पुत्र मलूराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
15. भालाराम उर्फ भंवरलाल पुत्र मलूराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया
18. सरस्वती देवी पत्नी बृजलाल जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं. 10, 4 एमएमके लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
19. मनाहरी (पुत्री बृजलाल) पत्नी सुरेन्द्र जाति मेघवाल साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
20. सरोज (पुत्री बृजलाल) पत्नी जगदीश जाति मेघवाल साकिन मटीलीराठान तहसील व जिला हनुमागनढ।
21. जगदीश पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं. 10 एमएमके लीलांवाली तहसील व जिला हनुमागनढ।
22. विद्यादेवी पत्नी साहबराम जाति मेघवाल साकिन चक 2 एमएमके नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
23. सावित्री पुत्री साहबराम पत्नी सुरेन्द्र जाति मेघवाल साकिन मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला हनुमानगढ।
24. पंजाब नेशनल बैंक धौलीपाल जरिये शाखा प्रबन्धक धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2020
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ
प्रकरण संख्या 119/2012 बअनवान गंगाराम बनाम केसराराम

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री प्रद्युमनसिंह परमार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट
श्री रविन्द्र गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक – 19.09.2021

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायलाय के समक्ष उद्घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें उद्घोषणा चाही की वाद पत्र की मद सं0 3 में वर्णित भूमि चक 14 एमजेडी में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक 0.821 है0 व प्रतिवादी सं0 5 ता 8 चारों 0.821 है0 व चक 14 एमएमके में वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 प्रत्येक 1.327 है0 व प्रतिवादी सं0 5 ता 8 चारों 1.327 है0 भूमि के खतोदार काश्तकार हैं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कर प्रतिवादी सं0 3 व 4 का नामकलमजन किया जावे व इंतकाल नं0 348 दिनांक 07.05.2012 चक 14 एममएके दुरूस्त किया जावे एवं अच्छी मंदी के लिहाज से खाता विभाजन चाहा गया। जिस पर प्रतिवादी सं0 3 भोली उर्फ रामेश्वरी ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया तत्पश्चात् प्रतिवादी 0 3 व 4 रामेश्वरी एवं सुरस्वती के द्वारा दस्तबरदारी कर अपना हक परित्याग करने के कारण उनका नाम दावा से विलोपित कियो जाने का कथन किया एवं पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत किया एवं राजीनामा के मुताबिक वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर विचारण न्यायला द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट सं0 1 के पिता बृजलाल ने चक 14 एमजेडी के प. नं. 128/182 मु0 नं0 40 के किला नं. 23 की 0.253 है0 भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 15 के पूर्वज लाधूराम पुत्र भारूराम से पूर्ण प्रतिफल अदाकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.10.1979 से खरीदशुदा है तथा अपीलाण्ट सं0 2 के पिता श्री साहबराम द्वारा चक 14 एमजेडी के प0 नं0 128/183

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मु0 नं0 45 के किला नं. 3 की 0.253 है0 भूमि लाधुराम पुत्र भारूराम से ही पूर्ण प्रतिफल अदाकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 18.10.1979 से ही भूमि खरीद कर ली थी एवं खरीद के रोज से पूर्व में अपीलाण्ट के पिता अपने जीवनकाल में उनके फौत होने के बाद से वारिसान प्रश्नगत भूमि पर रहकर करश्त करते आ रहे हैं। परन्तु रेस्पोडेण्ट ने मिलीभगत कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2020 से रेस्पोडेण्ट सं0 12 ता 15 के नाम दर्ज करवा दी। विक्रयशुदा भूमि पर स्व0 लाधुराम के वारिसान का कानूनन कोई हक व हिस्सा नहीं था ना ही रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 15 का कोई स्वत्व था एवं भूमि विक्रय दिनांक 18.10.1979 के बाद आज दिनांक तक लाधुराम पुत्र भारूराम के उक्त वर्णित दो बीघा भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष दुर्भि सन्धी कर क्रेतागण अथवा उनके वारिसान को बिना पक्षकार बनाये भूमि रेस्पोडेण्ट 12 तथा 15 ने अपने नाम दर्ज करवाई है जो विधि विरूद्ध है एवं अपीलाधीन निर्णय उक्त दो बीघा की हद तक प्रभाव शुन्य है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार हल्का को मौका कमीश्नर नियुक्त कर कब्जा की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट प्रकरण में पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का क्रेता होने के कारण वह एक प्रभावित पक्षकार है। इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील पेश की है जो स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री उपरौक्त दो किला की हद तक निरस्त की जावे एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021 (2)पेज 1083 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 12 ता 15 ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 के पूर्वज श्री लाधुराम पुत्र भारूराम की थी, जो लाधुराम के फौत हो जाने के बाद यह भूमि उसके वारिसान को प्राप्त हुई जिसमें लाधूराम के सभी पुत्रीयों ने अपना हक हिस्सा तर्क कर दिया एवं दस्तबरदारी करवादी थी जिससे यह भूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 एवं 5 ता 8 के नाम दर्ज हो गई। परन्तु प्रतिवादी सं0 3 व 4 क मन में बदनीयती आ गई। चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में हिस्सा गलत दर्ज है क्यों कि इन्द्राज गलत दर्ज हो गया था जिसे दुरूस्त करवाने के वादीगण हकदार हैं। गलत हिस्सा दर्ज होने का फायदा उठाकर वादी के हक हिस्सा की भूमि अन्य व्यक्तियों को रहन बेय करने पर उतारू है यदि वादीगण अपने आशय में कामयाब हो जाते हैं तो रेस्पोडेण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी व वादी का वाद बेसुध हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश हुआ था जिस पर विचारण न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उभयपक्ष के राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जा विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है, अपीलाण्ट ने अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं बताया है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
8. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने प्रश्नगत भूमि में अधिकारों की घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जो राजीनामा के आधार पर डिक्री किया गया है। परन्तु अपील में आये तथ्यों के अनुसार अपीलाण्ट सं0 1 के पिता बृजलाल ने चक 14 एमजेडी के प. नं. 128/182 मु0 नं0 40 के किला नं. 23 की 0.253 है0 भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 15 के पूर्वज लाधूराम पुत्र भारूराम से पूर्ण प्रतिफल अदाकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.10.1979 से खरीदशुदा है तथा अपीलाण्ट सं0 2 के पिता श्री साहबराम द्वारा चक 14 एमजेडी के प0 नं0 128/183 मु0 नं0 45 के किला नं. 3 की 0.253 है0 भूमि लाधुराम पुत्र भारूराम से ही पूर्ण प्रतिफल अदाकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 18.10.1979 से ही भूमि खरीद कर ली थी एवं खरीद के रोज से प्रश्नगत भूमि पर रहकर काश्त करते आ रहे हैं। परन्तु रेस्पोडेण्ट ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2020 से रेस्पोडेण्ट सं0 12 ता 15 के नाम दर्ज करवा दी। प्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उसे सुने बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2021 (2) पेज 1083 के अनुसार वाद भूमि के विक्रय विलेख वाद पेश करने के पूर्व व वाद के विचाराधीन निष्पादित किये गये हैं तो भूमि का क्रेता अपील पेश करने की अनुमति हेतु पात्र है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि 1971 से क्रेता है एवं प्रश्नगत भूमि पर उसकी कब्जा काश्त है इसलिए वह एक प्रभावित पक्षकार है उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2020 चक 14 एमजेडी के प. नं. 128/182 मु0 नं0 40 के किला नं. 23 की 1 बीघा एवं भूमि चक 14 एमजेडी के प0 नं0 128/183 मु0 नं0 45 के किला नं. 3 की की एक बीघा तक निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार किये जाते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2020 चक 14 एमजेडी के प. नं. 128/182 मु0 नं0 40 के किला नं. 23 की 1 बीघा एवं भूमि चक 14 एमजेडी के प0 नं0 128/183 मु0 नं0 45 के किला नं. 3 की की एक बीघा तक निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायलाय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.9.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/9/22

(करतारसिह पूनीयॉ)
आर ए एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़